BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 554/2025

IN THE MATTER OF:

RITISHA GOND D/O GOPAL GOND …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT 12-DIVISIONAL FOREST OFFICER, OBRA FOREST DIVISION, SONBHADRA IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 09.02.2026 BY THE HON’BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 06.07.2023 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE LETTER DATED 29.09.2023 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE LETTER DATED 28.06.2024 IS ANNEXED	

	HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE LETTER DATED 16.08.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Place: Noida

Date: 16.05.2026

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 554/2025

IN THE MATTER OF:

RITISHA GOND D/O GOPAL GOND **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **...RESPONDENT(S)**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT 12-DIVISIONAL FOREST OFFICER, OBRA FOREST DIVISION, OBRA-SONBHADRA IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 09.02.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL

I, **Dileep Kumar Tiwari** aged about **46** years, S/o Shri **Rajendra Prasad Tiwari** posted as Divisional Forest Officer, Obra Forest Division, Obra-Sonbhadra, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That, I the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That, I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
SANJAY KUMAR DWIVEDI
Notary Advocate
District Sonbhadra
Regn No 52402
Validity-17-04-2030
GOVT. OF INDIA

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, in the present Original Application, the Applicant has challenged the Revised District Survey Report (DSR), Sonbhadra, 2024, inter alia alleging that Arazi Nos. 5219, 5225, 5218, 5220, 5221, 5223Kha, 5230, 5231, 5232Ka, 5222, 5226, 5227, 5228, 5229, 5234, 5215Kha, 5216, 5217, 5233 and 5235 admeasuring a total area of 1.85hectares (**serial no. 81 of Draft DSR, Sonbhadra, 2024**) and Arazi Nos. 4798Kha, 4799Kha, 4800Kha, 4801, 4802, 4804Ka, 4804Ga, 4805 and 4866Kha admeasuring a total area of 1.82 hectares (**serial no. 99 of Draft DSR, Sonbhadra, 2024**) have been wrongly included in the DSR for mining purposes. It has been contended that the aforesaid Arazi numbers are situated adjacent to Arazi Nos. 4803 and 4992, where a natural stream and a natural dam are existing, and that permitting mining activities in the adjoining areas is likely to adversely affect and potentially destroy the said natural water bodies.

4. That, the matter was last listed for hearing on 09.02.2026, wherein the Hon'ble Tribunal directed as follows:

   "1. A letter has been circulated by Counsel for respondents no.1 to 3, 7, 9 to 15 and 17 seeking four weeks' time to file the reply.

   2. Learned Counsel for respondents no. 6, 16, 18, 19, 21 and 23 also seek four weeks' time to file the reply.

   3. Affidavit of service has not been filed. Let the same be filed by the applicant within two weeks.

   4. List on 19.05.2026."

NOTARY
SANJAY KUMAR DWIVEDI
Notary Advocate
District Sonbhadra
Regn No 52402
Validity-17-04-2030
GOVT. OF INDIA

REPLY IS AS FOLLOWS

I. FOREST NOC REGARDING MINING LEASE AREA AT SERIAL NO. 81 OF THE DRAFT DSR, 2024

5. That, it is most respectfully submitted that in relation to the mining lease area mentioned at **Serial No. 81** of the Draft DSR, Sonbhadra, 2024, Senior Mining Officer, Sonbhadra, vide letter no. **929/Mineral/2023-24** dated **06.07.2023**, requested issuance of Forest No Objection Certificate by enclosing therewith copies of the joint survey report duly signed by the officers/officials of the Revenue Department, Mining Department, Forest Department, Pollution Control Board and Irrigation Department, Khatauni and map relating to the proposed mining lease area.

   A copy of the letter dated 06.07.2023 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

6. That, after due examination of the documents enclosed with the letter dated **06.07.2023** mentioned in the para above, the Divisional Forest Officer, Obra Forest Division, Obra-Sonbhadra, vide letter no. **814/Obra/15-Mining** dated **29.09.2023**, issued the Forest No Objection Certificate in relation to the aforesaid mining lease area.

   A copy of the letter dated 29.09.2023 is annexed herewith and marked as ***Annexure-2***.

II. FOREST NOC REGARDING MINING LEASE AREA AT SERIAL NO. 99 OF THE DRAFT DSR, 2024

7. That, further, in relation to the mining lease area mentioned at **Serial No. 99** of the Draft DSR, Sonbhadra, 2024, the office of the District Magistrate, Sonbhadra, vide letter no. **822/Mineral/No-Objection-Certificate/2024-25** dated **28.06.2024**, requested issuance of Forest No Objection Certificate by

NOTARY
SANJAY KUMAR DWIVEDI
Notary Advocate
District-Sonbhadra
Regn No 52402
Validity-17-04-2030
GOVT. OF INDIA

enclosing therewith copies of the joint survey report duly signed by the officers/officials of the Revenue Department, Mining Department, Forest Department, Pollution Control Board and Irrigation Department, Khatauni and map relating to the proposed mining lease area.

A copy of the letter dated 28.06.2024 is annexed herewith and marked as ***Annexure-3***.

8. That, after due examination of the documents enclosed with the letter dated **28.06.2024** mentioned in the para above, the Divisional Forest Officer, Obra Forest Division, Obra-Sonbhadra, vide letter no. **435/Obra/15-Mining** dated **16.08.2024**, issued the Forest No Objection Certificate in relation to the aforesaid mining lease area.

   A copy of the letter dated 16.08.2024 is annexed herewith and marked as ***Annexure-4***.

9. Hence, this response is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

10. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
SANJAY KUMAR DWIVEDI
Notary Advocate
District Sonbhadra
Regn No 52402
Validity-17-04-2030
GOVT. OF INDIA

DEPONENT
Divisional Forest Officer
Obra Forest Division
Obra-Sonebhadra

VERIFICATION

Verified at Sonbhadra on this 16th day of May 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Divisional Forest Officer
Obra Forest Division
Obra-Sonebhadra

NOTARY
SANJAY KUMAR DWIVEDI
Notary Advocate
District Sonbhadra
Regn No 52402
Validity-17 04-2030
GOVT. OF INDIA

ANNEXURE-1

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा, सोनभद्र।

पत्रांक– 929 /खनिज/अनापत्ति प्रमाण पत्र/2023–24 दिनांक 06/07/2023

विषय :– वन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत करना है कि श्री अजय उर्फ छोटेलाल पुत्र स्व0 विश्वनाथ, नि0– बिल्ली मारकुण्डी, परगना– अगोरी, तहसील– ओबरा, जनपद– सोनभद्र द्वारा जनपद– सोनभद्र, तहसील– ओबरा स्थित ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी की आराजी संख्या– 5219, 5225, 5218, 5220, 5221, 5223ख, 5230, 5231, 5232क, 5222, 5226, 5227, 5228, 5229, 5234, 5215ख, 5216, 5217, 5233, 5235, कुल रकबा– ~~1.9070~~ 1.960 हेक्टेयर निजी भूमि क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के निमित्त ऑनलाइन पोर्टल https://upminemitra.in पर आवेदन सं0– 2023/5/13/213055 अपलोड किया गया है।

उपरोक्त क्षेत्र पर वन अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु शासनादेश संख्या– 728(3)/14–2–2008–65/2004–टी0 सी0–III दिनांक 20.02.2008 के प्रस्तर– 1 से 8 तक वांछित सूचनाओं/अभिलेखों के सन्दर्भ में वन विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग तथा खनिज विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण/निरीक्षण दिनांक 16.06.2023 को किया गया। संयुक्त सर्वेक्षण/निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र अधिसूचित आरक्षित वन भूमि से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। क्षेत्र का विवरण निम्नवत् है :–

ग्राम	आराजी संख्या	रकबा (हे0 में)	पीलर संख्या	अक्षांश	देशान्तर
बिल्ली मारकुण्डी	5219, 5225, 5218, 5220, 5221, 5223ख, 5230, 5231, 5232क, 5222, 5226, 5227, 5228, 5229, 5234, 5215ख, 5216, 5217, 5233, 5235	1.960 ~~1.9070~~	A	24°29'5.17"N	83°0'55.33"E
			B	24°29'2.16"N	83°0'57.42"E
			C	24°29'1.57"N	83°0'57.50"E
			D	24°29'1.47"N	83°0'58.05"E
			E	24°29'0.30"N	83°0'59.75"E
			F	24°28'59.87"N	83°1'0.69"E
			G	24°28'57.86"N	83°0'59.55"E
			H	24°28'58.83"N	83°0'56.99"E
			I	24°28'57.52"N	83°0'55.74"E
			J	24°28'58.33"N	83°0'55.09"E
			K	24°28'58.89"N	83°0'55.51"E
			L	24°28'59.01"N	83°0'55.44"E
			M	24°28'59.23"N	83°0'55.66"E
			N	24°28'59.32"N	83°0'55.56"E
			O	24°28'59.15"N	83°0'55.43"E
			P	24°28'59.37"N	83°0'55.37"E
			Q	24°28'59.36"N	83°0'55.22"E
			R	24°28'59.57"N	83°0'55.29"E
			S	24°29'0.44"N	83°0'54.44"E

(2)

अतः उक्त क्षेत्र से सम्बन्धित खतौनी, संयुक्त सर्वेक्षण आख्या तथा हस्ताक्षरित मानचित्र की एक–एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत क्षेत्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ–साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त क्षेत्र की स्वहस्ताक्षरित मानचित्र (ब्लू प्रिंट) की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

ANNEXURE-2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 814/ओबरा/15 खनन, दिनांक: 29.09.2023.

सेवा में,

जिलाधिकारी
सोनभद्र।

विषयः– वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र का पत्रांक–929/खनिज/2023–24 दिनांक– 06.07.2023 तथा पत्रांक–1733/खनिज/2023–24 दिनांक–11.09.2023.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ दिनांक–16.06.2023 को राजस्व, खनिज, वन, प्रदूषण एवं सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त सर्वेक्षण आख्या व मानचित्र संलग्न किया गया है। जिसमें उल्लिखित है कि ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी, तहसील–ओबरा, जिला–सोनभद्र के आराजी गाटा संख्या–5219, 5225, 5218, 5220, 5221, 5223ख, 5230, 5231, 5232क, 5222, 5226, 5227, 5228, 5229, 5234, 5215ख, 5216, 5217, 5233, 5235 रकवा 1.960हे0 क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 1–क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा प्रश्नगत क्षेत्र वन भूमि से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लिखित है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर खनन कार्य किये जाने से पर्यावरण/वृक्षावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है, तत्क्रम में आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का अभिलेखीय एवं मौके की जांच करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन को निर्देशित किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–72/चोपन/15 खनन दिनांक– 22.09.2023 द्वारा खान अधिकारी, सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक–1733/खनिज /2023–24 दिनांक–11.09.2023 में उल्लिखित तथ्य एवं मानचित्र में चिन्हित आवेदित गाटो के अतिरिक्त गाटा संख्या 5224 व गाटा संख्या 5232ख को पृथक करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करनें की संस्तुति की गयी है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र में विभिन्न प्राजातियों के वृक्ष मौजूद हैं। खनन संक्रिया प्रारम्भ करनें से पूर्व पट्टेधारक को यदि वृक्ष काटने की आवश्यकता हो तो नियमानुसार वन विभाग से अनुमति प्राप्त करनें के उपरान्त ही वृक्षों का कटान किया जाय। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में गाटा संख्या 5223ख व 5215ख का क्षेत्रफल क्रमशः 0.253हे0 व 0.209हे0 अंकित है, जबकि आवेदन पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में उक्त गाटे में निहित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जिससे मानचित्र पर प्रदर्शित खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट/आवेदन पत्र में उल्लिखित गाटेवार क्षेत्रफल 1.960हे0 से अधिक क्षेत्रफल प्रदर्शित हो रहा है। जिसके सम्बन्ध में आख्या एवं खनन क्षेत्र का संशोधित मानचित्र वन विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन द्वारा प्रेषित आख्या व संस्तुति के कम में **आवेदित गाटो के अतिरिक्त गाटा संख्या 5224 व 5232ख (जो अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदित क्षेत्र के अन्दर स्थित है) को छोड़कर**, ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी, तहसील–ओबरा, जिला–सोनभद्र के आराजी गाटा संख्या–5219, 5225, 5218, 5220, 5221, 5223ख, 5230, 5231, 5232क, 5222, 5226, 5227, 5228, 5229, 5234, 5215ख, 5216, 5217, 5233, 5235 रकवा 1.960हे0 क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का खनन पट्टा स्वीकृत करनें हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर निर्गत किया जाता है कि **आवेदन पत्र के साथ संलग्न मानचित्र (जिसमें प्रदर्शित खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट/आवेदन पत्र में उल्लिखित गाटेवार क्षेत्रफल 1.960हे0 से अधिक क्षेत्रफल प्रदर्शित हो रहा है।) के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार**

आख्या एवं संशोधित मानचित्र वन विभाग को उपलब्ध करा दिये जाने तथा कैमूर वन्य जीव विहार (ईको सेन्सिटिव जोन) से दूरी के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करनें के उपरान्त ही खनन पट्टा स्वीकृत किया जाय। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार आख्या एवं संशोधित मानचित्र उपलब्ध कराये जाने की शर्त से बाधित रहेगा।

इसके अतिरिक्त पट्टेधारक/आवेदक को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो का अनुपालन कराना अनिवार्य होगाः–

1. खनन संकिया प्रारम्भ करनें से पूर्व पट्टेधारक द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र पर मौजूद वृक्षों को काटने की आवश्यकता हो तो नियमानुसार वन विभाग से अनुमति प्राप्त करनें के उपरान्त ही वृक्षों का कटान किया जायेगा।
2. खनन संकिया प्रारम्भ करने से पूर्व प्रश्नगत खनन क्षेत्र का वन विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की उपस्थिति में पीलर द्वारा सीमांकन कर, पीलरो की जी0पी0एस0 रीडिंग वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि यदि पाया गया कि पट्टेधारक अपने लीज क्षेत्र से हटकर वन क्षेत्र में अथवा वन क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि में खनन कार्य किया जा रहा है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगी।
3. भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 1991 एवं 2002 के सभी नियमों व प्राविधानो का पालन किया जायेगा।
4. शासनादेश संख्या 304/18–11–98–29/98 दिनांक–19.01.1998 के पैरा–1 व 2 तथा सहपठित शासनादेश संख्या–1225/10–11–98–87/98 दिनांक–21.04.1998 एवं 1954/18–11–98– 29/98 दिनांक 23.04.1998 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
5. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
6. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 1991 एवं 2002 के सभी नियमों व प्राविधानों का पालन किया जायेगा।
7. परिवहन हेतु वन क्षेत्र/वन मार्ग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जायेगा, मानचित्र में प्रदर्शित अभिवहन मार्ग से अन्य किसी भिन्न मार्ग से खनिज का अभिवहन किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा, ताकि सक्षम स्तर से अनुमति जारी करने की कार्यवाही किया जा सके। यदि अधोहस्ताक्षरी को बिना अवगत कराये मानचित्र में प्रदर्शित अभिवहन मार्ग से अन्य, किसी भिन्न मार्ग का प्रयोग किया जाता है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. वन अपराध होने की दशा में खनन एवं परिवहन कार्य रोक देने का अधिकार वन विभाग को होगा।
9. वन अधिनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन कालांतर होने पर उल्लिखित शर्तों में संशोधन करने अथवा समाप्त करने का अधिकार वन विभाग को होगा।
10. अनुज्ञा पत्र/पट्टा की अवधि समाप्त होते समय नवीनीकरण के पहले वन विभाग से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
11. वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी भी समय खनन क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र का मौका मुआयना व फील्ड जांच किये जाने का अधिकार होगा, जिसमें पट्टा धारक द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा तथा समस्त वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।
12. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र केवल उसी क्षेत्र के लिए मान्य होगा जिसके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया और परिवहन अनुज्ञा पत्र उसी क्षेत्रफल व सीमा क्षेत्र के लिए निर्गत किया गया है। इससे इतर किये गये खनन को अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा।

13. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करते हुए स्थल पर मौजूद वृक्षों को यथावत रहने दिया जायेगा तथा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
14. खनन स्थल के आस–पास स्थित वृक्षों एवं वन्य जीवों को हानि नहीं पहुँचायी जायेगी।
15. शासनादेश संख्या–1483 (3)/14–2–08–65/2004–टी0सी0–3, दिनांक–04.06.2008 के अनुसार निम्नलिखित शर्त का भी अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा–

''खनन पट्टा प्राप्तकर्ता द्वारा जितने क्षेत्रफल में खनन किया जा रहा है, उतने क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के दौ सौ फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण सिंचाई एवं फेन्सिंग के साथ अपने निजी स्रोतों से करेंगे। एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टों की अनापत्ति के मामले में प्रति एकड़ 200 वृक्ष उपरोक्तानुसार लगाया जाना होगा। एक एकड़ से अधिक होने पर प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त 200 वृक्ष लगाने होंगे, जो पूर्णांक में होगा''। पट्टाधारक द्वारा कराये गये वृक्षरोपण की सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त वृक्षरोपण की जांच की जा सकती है तथा पट्टाधारक द्वारा ऐसी जांच में पूर्ण सहयोग दिया जायेगा, वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध न होने की दशा में वन विभाग की निर्धारित दरों पर पौधरोपण हेतु धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

15. उपरोक्त उल्लिखित शर्तो में यदि किसी भी शर्त तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देशो का उल्लंघन यदि पट्टाधारक द्वारा किया जाता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 814 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत क्षेत्र का कैमूर वन्य जीव विहार (ईको सेन्सिटिव जोन) से दूरी के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/खान अधिकारी सोनभद्र के कार्यालय में उपलब्ध करानें का कष्ट करें।

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C

30/9/2023

F:\New Folder\AM-7.docx

ANNEXURE-3

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा, सोनभद्र।

पत्रांक– 822 /खनिज/अनापत्ति प्रमाण पत्र/2024–25 दिनांक 28/06/2024

विषय :– वन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरिलिखित विषय के सम्बन्ध में अवगत करना है कि श्री रामलखन पुत्र श्री फत्ते, पता– टी0आई0पी0 रोड, बिल्ली नियर शारदा मन्दिर, ओबरा, जनपद– सोनभद्र द्वारा जनपद– सोनभद्र, तहसील– ओबरा के ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी स्थित आ0सं0– 4798ख, 4799ख, 4800ख, 4801, 4802, 4804क, 4804ग, 4805, 4866ख, रकबा– 1.880 हे0 निजी भूमि क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के निमित्त ऑनलाइन पोर्टल https://upminemitra.in पर आवेदन सं0– 2024/4/9/334697 अपलोड किया गया है।

उपरोक्त क्षेत्र पर वन अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु शासनादेश संख्या– 728(3)/14–2–2008–65/2004–टी0 सी0–III दिनांक 20.02.2008 के प्रस्तर– 1 से 8 तक वांछित सूचनाओं/अभिलेखों के सन्दर्भ में वन विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग तथा खनिज विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण/निरीक्षण दिनांक 14.06.2024 को किया गया। संयुक्त सर्वेक्षण/निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र अधिसूचित आरक्षित वन भूमि से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। क्षेत्र का विवरण निम्नवत् है :–

ग्राम	आराजी संख्या	रकबा (हे0 में)	पीलर संख्या	अक्षांश	देशान्तर
बिल्ली मारकुण्डी	4798ख, 4799ख, 4800ख, 4801, 4802, 4804क, 4804ग, 4805, 4866ख	1.880	A	24°28'22.26"N	83° 0'26.44"E
			B	24°28'23.05"N	83° 0'27.01"E
			C	24°28'22.81"N	83° 0'27.55"E
			D	24°28'24.09"N	83° 0'28.55"E
			E	24°28'24.11"N	83° 0'28.89"E
			F	24°28'24.24"N	83° 0'29.07"E
			G	24°28'23.35"N	83° 0'31.34"E
			H	24°28'23.31"N	83° 0'31.99"E
			I	24°28'23.70"N	83° 0'32.19"E
			J	24°28'23.50"N	83° 0'32.84"E
			K	24°28'23.27"N	83° 0'32.87"E
			L	24°28'23.37"N	83° 0'33.84"E
			M	24°28'21.76"N	83° 0'33.13"E
			N	24°28'20.91"N	83° 0'32.89"E
			O	24°28'19.50"N	83° 0'32.62"E
			P	24°28'19.49"N	83° 0'31.39"E
			Q	24°28'19.05"N	83° 0'31.08"E
			R	24°28'19.14"N	83° 0'30.01"E
			S	24°28'19.34"N	83° 0'29.55"E

.......2.......

(2)

यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	T	24°28'20.41"N	83° 0'29.98"E
			U	24°28'20.53"N	83° 0'29.48"E
			V	24°28'22.21"N	83° 0'30.01"E
			W	24°28'21.11"N	83° 0'28.17"E
			X	24°28'21.20"N	83° 0'26.83"E
			Y	24°28'21.66"N	83° 0'26.56"E
			Z	24°28'22.11"N	83° 0'26.61"E

अतः उक्त क्षेत्र से सम्बन्धित खतौनी, संयुक्त सर्वेक्षण आख्या तथा हस्ताक्षरित मानचित्र की एक–एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि विषयगत क्षेत्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ–साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त क्षेत्र की स्वहस्ताक्षरित मानचित्र (ब्लू प्रिंट) की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग
रजिस्टर सं0 7239
फाइल सं0 33
दिनाँक 01.07.2024
ओबरा-सोनभद्र

29/06/2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 435 /ओबरा/15 खनन, दिनांकः 16.08. 2024.

सेवा में,
जिलाधिकारी
सोनभद्र।

विषयः– वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र का पत्रांक–822/खनिज/अनापत्ति प्रमाण पत्र/ 2024–25 दिनांक–28.06.2024.

महोदय,

ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र के उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का अभिलेखीय एवं मौके की जांच करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन को निर्देशित किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन ने अपने कार्यालय के पत्रांक–24/चोपन/15 खनन दिनांक–26.07.2024 द्वारा जांच आख्या/संस्तुति इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि– "बिल्ली मारकुण्डी के आराजी गाटा संख्या 4798ख, 4799ख, 4800ख, 4801, 4802, 4804क, 4804ग, 4805 व 4866ख कुल रकवा 1.88हे0 क्षेत्र (जो मानचित्र पर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA से चिन्हित है) उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1225/18–11–98–87/98 दिनांक–21.04.1998 के कम में ओबरा वन प्रभाग के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञापित वन भूमि से 100 मीटर परिधि से बाहर है तथा मानचित्र पर दर्शित परिवहन मार्ग भी ओबरा वन प्रभाग के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञापित वन भूमि से होकर नहीं गुजर रही है। महोदय को यह भी अवगत कराना ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के प्रश्नगत खनन क्षेत्र के जी0पी0एस0 पालिगान के अन्दर पड़ने वाले आराजी गाटा संख्या–4803 रकवा 0.051हे0 (जो गाटा संख्या 4801, 4802 व 4804 के बीच में है।) को छोड़कर आवेदित आराजी गाटा संख्या–4798ख, 4799ख, 4800ख, 4801, 4802, 4804क, 4804ग, 4805 व 4866ख कुल रकवा 1.88हे0 में से 1.82हे0 क्षेत्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करनें की कृपा करें।

चूंकि कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेन्सिटिव जोन के अन्दर खनन कार्य निषेध है। अतः ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी, तहसील–ओबरा, जिला सोनभद्र के उपरोक्त वर्णित गाटा संख्या व क्षेत्रफल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर निर्गत करने की संस्तुति की जाती है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली व भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अद्यतन (Up To Date) दिशा–निर्देश के अनुसार खनन हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी के सम्बन्ध में खनन विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर (जिनके अधीनस्थ कैमूर वन्य जीव विहार है) से आख्या/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1225/18–11–98–87/98 दिनांक–21.04.1998 के क्रम में अन्य सरकारी विभाग के अभिलेख में दर्ज जंगल/वन की खनन क्षेत्र से दूरी के सम्बन्ध में खनन विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग से आख्या/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही गिट्टी/बोल्डर का खनन पट्टा स्वीकृत करनें की कार्यवाही की जाय।

अतः आवेदन पत्र में उल्लिखित गाटा संख्या 4798ख, 4799ख, 4800ख, 4801, 4802, 4804क, 4804ग, 4805 व 4866ख कुल रकवा 1.88हे0 क्षेत्र उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1225/18–11–98–87/98 दिनांक–21.04.1998 के क्रम में ओबरा वन प्रभाग के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञापित वन भूमि से 100 मीटर परिधि से बाहर है। ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के प्रश्नगत खनन क्षेत्र के जी0पी0एस0 पालिगान के अन्दर पड़ने वाले आराजी गाटा संख्या–4803 रकवा 0.051हे0 (जो गाटा संख्या 4801, 4802 व 4804 के बीच में है।) को छोड़कर आवेदित आराजी गाटा संख्या–4798ख, 4799ख, 4800ख, 4801, 4802, 4804क, 4804ग, 4805 व 4866ख कुल रकवा 1.88हे0 में से 1.82हे0 क्षेत्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।"

उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति के क्रम में ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के प्रश्नगत खनन क्षेत्र के जी0पी0एस0 पालिगान के अन्दर पड़ने वाले आराजी गाटा संख्या–4803 रकवा 0.051हे0 (जो गाटा संख्या 4801, 4802 व 4804 के बीच में है।) को छोड़कर आवेदित आराजी गाटा संख्या–4798ख, 4799ख, 4800ख, 4801, 4802, 4804क, 4804ग, 4805 व 4866ख कुल रकवा 1.88हे0 में से 1.82हे0 क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर निर्गत किया जाता है कि कैमूर वन्य जीव विहार (ईको सेन्सिटिव जोन) से दूरी के सम्बन्ध में खनन विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर से आख्या/रिपोर्ट प्राप्त करने तथा उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1225/18–11–98–87/98 दिनांक–21.04.1998 के अनुसार अन्य सरकारी विभाग के अभिलेख में दर्ज जंगल/वन की खनन क्षेत्र से दूरी के सम्बन्ध में खनन विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग से आख्या/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टा स्वीकृत किया जाय। इसके अतिरिक्त पट्टेधारक/आवेदक को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो का अनुपालन कराना अनिवार्य होगाः–

1. खनन संक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व प्रश्नगत खनन क्षेत्र का वन विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की उपस्थिति में पीलर द्वारा सीमांकन कर, पीलरो की जी0पी0एस0 रीडिंग वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि यदि पाया गया कि पट्टेधारक अपने लीज क्षेत्र से हटकर वन क्षेत्र में अथवा वन क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि में खनन कार्य किया जा रहा है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगी।
2. भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 1991 एवं 2002 के सभी नियमों व प्राविधानो का पालन किया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या 304/18–11–98–29/98 दिनांक–19.01.1998 के पैरा–1 व 2 तथा सहपठित शासनादेश संख्या–1225/10–11–98–87/98 दिनांक–21.04.1998 एवं 1954/ 18–11–98–29/98 दिनांक 23.04.1998 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
5. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 1991 एवं 2002 के सभी नियमों व प्राविधानों का पालन किया जायेगा।
6. परिवहन हेतु वन क्षेत्र/वन मार्ग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जायेगा, मानचित्र में प्रदर्शित अभिवहन मार्ग से अन्य किसी भिन्न मार्ग से खनिज का अभिवहन किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा, ताकि सक्षम स्तर से अनुमति जारी करने की कार्यवाही किया जा सके। यदि अधोहस्ताक्षरी को बिना अवगत कराये मानचित्र में प्रदर्शित अभिवहन मार्ग से अन्य, किसी भिन्न मार्ग का प्रयोग किया जाता है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
7. वन अपराध होने की दशा में खनन एवं परिवहन कार्य रोक देने का अधिकार वन विभाग को होगा।
8. वन अधिनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन कालांतर होने पर उल्लिखित शर्तों में संशोधन करने अथवा समाप्त करने का अधिकार वन विभाग को होगा।
9. अनुज्ञा पत्र/पट्टा की अवधि समाप्त होते समय नवीनीकरण के पहले वन विभाग से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
10. वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी भी समय खनन क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र का मौका मुआयना व फील्ड जांच किये जाने का अधिकार होगा, जिसमें पट्टा धारक द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा तथा समस्त वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।
11. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र केवल उसी क्षेत्र के लिए मान्य होगा जिसके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया और परिवहन अनुज्ञा पत्र उसी क्षेत्रफल व सीमा क्षेत्र के लिए निर्गत किया गया है। इससे इतर किये गये खनन को अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा।
12. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करते हुए स्थल पर मौजूद वृक्षों को यथावत रहने दिया जायेगा तथा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

13. खनन स्थल के आस–पास स्थित वृक्षों एवं वन्य जीवों को हानि नहीं पहुँचायी जायेगी।
14. शासनादेश संख्या–1483 (3)/14–2–08–65/2004–टी0सी0–3, दिनांक–04.06.2008 के अनुसार निम्नलिखित शर्त का भी अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा–
''खनन पट्टा प्राप्तकर्ता द्वारा जितने क्षेत्रफल में खनन किया जा रहा है, उतने क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के दौ सौ फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण सिंचाई एवं फेन्सिंग के साथ अपने निजी स्रोतों से करेंगे। एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टों की अनापत्ति के मामले में प्रति एकड़ 200 वृक्ष उपरोक्तानुसार लगाया जाना होगा। एक एकड़ से अधिक होने पर प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त 200 वृक्ष लगाने होंगे, जो पूर्णांक में होगा''। पट्टाधारक द्वारा कराये गये वृक्षरोपण की सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त वृक्षरोपण की जांच की जा सकती है तथा पट्टाधारक द्वारा ऐसी जांच में पूर्ण सहयोग दिया जायेगा, वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध न होने की दशा में वन विभाग की निर्धारित दरों पर पौधरोपण हेतु धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
15. उपरोक्त उल्लिखित शर्तो में यदि किसी भी शर्त तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देशो का उल्लंघन यदि पट्टाधारक द्वारा किया जाता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 435 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर महोदय को सूचनार्थ प्रषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत क्षेत्र का कैमूर वन्य जीव विहार (ईको सेन्सिटिव जोन) से दूरी के सम्बन्ध में आख्या/रिपोर्ट जिलाधिकारी/खान अधिकारी सोनभद्र के कार्यालय में उपलब्ध करानें का कष्ट करें।

प्रतिलिपि–उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन को उनके पत्र संख्या–24/चोपन/15 खनन दिनांक–26.07.2024 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

OTC